**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 163/2025

Arjun Lal Meena S/o Shri Mewaram Dattak S/o Shri Narayan Meena, R/o Village And Post Nonpura, Tehsil Jamramgarh, Distt. Jaipur.

----Appellant/Plaintiff

Versus

1. Kalyan S/o Shri Nangram, R/o Village And Post Nonpura, Tehsil Jamramgarh, Distt. Jaipur
1/1. Smt. Kesar Devi W/o Late Shri Kalyan, R/o Village And Post Nonpura, Tehsil Jamramgarh, Distt. Jaipur
2. Ganeshi (Died) W/o Lala Ram, R/o Akhepura, Tehsil Amer, Distt. Jaipur
2/1. Hanuman Son Of Lalaram, Resident Of Akhepura, Tehsil Aamer, District Jaipur (Raj.)
2/2. Prabhu Son Of Lalaram, Resident Of Akhepura, Tehsil Aamer, District Jaipur (Raj.)
2/3. Tara Daughter Of Lalaram, Resident Of Akhepura, Tehsil Aamer, District Jaipur (Raj.)
2/4. Pream D/o Lalaram, Resident Of Village Rupwas, Tehsil-Jamvaramgarh, District Jaipur (Raj.)
2/5. Smt. Kaushlya D/o Lalaram Wife Of Ramkumar, Resident Of Akhepura, Tehsil Aamer, District Jaipur (Raj.)
3. Koshalya W/o Ramkumar, R/o Langdiwas, Tehsil Jamramgarh, Distt. Jaipur.

----Respondents/Defendants

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Rakesh Chandel, Adv. for<br>Mr. Poonam Chand Bhandari, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Ms. Akriti Mathur, Adv.<br>Mr. Avinash Fenin, Adv. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Order**

**24/02/2026**

सभी प्रत्यर्थीगण पर तामील हो चुकी है, परंतु प्रत्यर्थी क्रम–1 के अलावा अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–547/2012 में दिनांक 03.11.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया थाः–

> ''अपीलार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
>
> आदेशिका दिनांक 22.09.2023 में यह उल्लेखित है कि प्रत्यर्थी क्रम–1/1 की मृत्यु हो चुकी है और तत्समय अपीलार्थी की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने हेतु कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, परन्तु करीब दो वर्ष से अधिक समय निकलने के बावजूद आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. अथवा आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश नहीं किया गया है।
>
> सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील उपशमित होने से खारिज की जाती है।
>
> विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है, तो इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाया जावे।''

वर्तमान आवेदन प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अत्यावश्यक कारणों से दिनांक 03.11.2025 को अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाये थे। प्रत्यर्थी क्रम–1/1 केसर देवी की मृत्यु होना स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उसके विधिक उत्तराधिकारी उसकी दोनों पुत्रियां प्रत्यर्थी क्रम–2 व 3 के रूप में पहले से ही अभिलेख पर हैं, अतः ऐसी स्थिति में वाद स्वतः ही अबेट नहीं होता है, उस समय अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित थे और प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से भी इस तथ्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया, इस कारण से आदेश दिनांक 03.11.2025 पारित हुआ है, जिसे वापिस लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्रम–1 ने आदेश दिनांक 03.11.2025 को वापिस लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–547/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 को रिकॉल किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा यह अपील नियमानुसार सूचीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है।

इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /92 (S)